न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–गुना

निगरानी 1540-PBR-15

1– अरविन्द सिंह पुत्र श्री परमाल सिंह
2– संजीव सिंह पुत्र श्री परमाल सिंह
निवासीगण– देहरी खुर्द तहसील आरोन
जिला–गुना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना
2. राजेन्द्र पुत्र श्री लालाराम मेहतर
निवासी देहरी खुर्द तहसील आरोन
जिला–गुना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2013–14 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.04.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यहकि, ग्राम देहरी खुर्द के पटवारी द्वारा तहसीलदार आरोन को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कि ग्राम देहरी खुर्द की भूमि सर्वे नं. 427/3/3 रकबा 1.500 है0 भूमि का पिस्ताबाई पत्नी लालाराम के नाम पट्टा हुआ था। पिस्ताबाई की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राजेन्द्र का राजस्व अभिलेख में नामान्तरण हो गया था उक्त पट्टे की भूमि को बिना कलेक्टर की अनुमति के अरविन्द सिंह, संजीव सिंह पुत्रगण परमाल सिंह रघुवंशी को विक्रय दिनांक 11.05.2000 से विक्रय कर दी गयी है। तथा विक्रेता का परिवार ग्राम में निवास नहीं करता तथा कहाँ रहता है। ज्ञात नहीं है, तहसीलदार आरोन ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर जिल्द बंदोबस्त में शासकीय भूमि दर्ज होने से अंतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के पट्टा निरस्त करने का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया।

2. यहकि, कलेक्टर जिला गुना द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आवेदक एवं अनावदेक क्रमांक 2 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये। जिसमें बताया गया कि धारा 165(7) भू–राजस्व संहिता का उल्लघंन किये जाने से प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा क्यो न निरस्त कर दिया जाये। उक्त सूचना पत्र वापिस प्राप्त हुआ जिसमें बताया कि गजेन्द्र पुत्र लालाराम गॉव में निवास नहीं करता। और न हीं उसका कोई पता है, इसी प्रकार का सूचना पत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1540–पीबीआर/2015 — जिला–गुना

अरविन्द सिंह व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–गुना के प्रकरण क्रमांक 02/2013–14/स्व.–निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–04–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 19.6.19 सदस्य	